अदालत

जज को सीधे फोन करने पर लंबित आपराधिक अवमानना मामला

विधायक संजय पाठक ने हाईकोर्ट में उपस्थित होकर मांगी माफी

जबलपुर, नवभारत। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक संजय पाठक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। विधायक संजय पाठक ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा है कि उनसे गलती वष हाईकोर्ट जज को फोन लग गया था। युगल पीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 14 मई को निर्धारित की है।

गौरतलब है कि कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि विधायक संजय पाठक से संबंधित कंपनी के खिलाफ अवैध उत्खनन के मामले में हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितम्बर 2025 को सुनवाई से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट जस्टिस ने अपने आदेश में कहा था कि विधायक ने उससे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया। जिसके कारण वह सुनवाई से खुद को अगल कर रहे है। जस्टिस विशाल मिश्रा ने निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को प्रशासनिक स्तर पर चीफ जस्टिस के समक्ष भेजने का निर्देश भी दिया था।

याचिका में कहा गया था कि विधायक के यह कृत्य न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने तथा गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप करना आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आता है। हाईकोर्ट ने विगत 2 अप्रैल को याचिका का निराकरण करते हुए मामले को संज्ञान में लेते हुए भाजपा विधायक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश जारी किये थे।

पिछली सुनवाई के दौरान विधायक संजय पाठक की तरफ से बिना शर्त माफी मांगने के संबंध में हलफनामा पेश किया गया था। उनकी तरफ से तर्क दिया गया कि आपराधिक अवमानना में दंड का प्रावधान है,जब गलती असक्षम हो या संबंधित व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करें। राजनीतिक प्रतिद्वंदी के द्वारा इस मामले में जनहित याचिका दायर की गयी थी। युगल पीठ ने सुनवाई के बाद भाजपा विधायक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था।

याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और गलती स्वीकार करते हुए बिना शर्त माफी मांगी। पूर्व में याचिका दायर करने वाले आशुतोष दीक्षित की तरफ से याचिका में हस्तक्षेप कर्ता बनने के लिए आवेदन पेष किया। युगल पीठ ने सुनवाई के बाद हस्तक्षेप कर्ता बनने के आवेदन को निरस्त करते हुए उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। युगलपीठ ने अगली सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश जारी किये है।

वित्त विभाग से मिली स्वीकृति, मंत्रिमंडल की औपचारिक अनुमति शेष

एडवोकेट चेम्बर और मल्टी लेवल मामले में शासन ने दिया जवाब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के गेट नंबर-4 के सामने एडवोकेट चेंबर और मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट के मामले में शासन की ओर से कहा गया कि उक्त प्रोजेक्ट के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति मिल गई है, अब केवल मंत्रिमंडल की औपचारिक अनुमति शेष है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने अगली सुनवाई 29 अप्रैल के पहले स्वीकृति पर अंतिम निर्णय लेकर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

उल्लेखनीय है कि मप्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धन्य कुमार जैन की ओर से यह मामला दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन भवन का शिलान्यास 4 मई 2025 को हुआ था।

हाईकोर्ट के गेट नंबर-चार के सामने करीब 117 करोड़ रुपये से आधुनिक लायर्स चेम्बर और बहुस्तरीय पार्किंग बनना है। इसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस एसी शर्मा, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और तत्कालीन चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत की मौजूदगी में हुआ था। इसे लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने लगातार राज्य सरकार से पत्राचार किया।

सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन, हाईवे जाम

अवैध रेत उत्खनन कार्रवाई के दौरान नर्मदा में डूबने से हुई युवक की मौत का मामला

जबलपुर, नवभारत। बरेला थाना अंतर्गत जमतरा में सोमवार को अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ की गई प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान दहशत में आकर नर्मदा नदी में कूदे एक युवक की मौत के विरोध में मंगलवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को हाईवे पर रखकर चक्काजाम कर दिया, जिससे घंटों तक यातायात पूरी तरह ठप रहा।

दरअसल पीएम के बाद मंगलवार सुबह जैसे ही युवक का शव मिला, ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। बड़ी संख्या में ग्रामीण गौर-एकता मार्केट के पास एकत्रित हुए और शव को सड़क के बीचों-बीच रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों, ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों पर मामला दर्ज करने, मुआवजे की मांग की। चक्काजाम के चलते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गईं, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

तनावपूर्ण स्थिति बनी, समझाइश, आश्वासन के बाद मानें

आक्रोशजिनों ने मांग की मृतक के आश्रितों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। घटना के समय मौके पर मौजूद लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एसडीएम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को काफी देर तक समझाया। प्रशासन की ओर से संवेदनशीलता दिखाते हुए मृतक के परिजनों को रेडक्रास फंड से 1 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की गई। साथ ही, आश्वासन दिया गया कि शासन की अन्य योजनाओं के माध्यम से परिवार को पूरी मदद दिलाई जाएगी और मामले की निष्पक्ष जाँच की जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद ही ग्रामीण शांत हुए और हाईवे से जाम हटाया गया।

क्या है मामला

विदित हो कि ग्रामीण एसडीएम अभिषेक सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक, पुलिस की संयुक्त टीम ने बरेला थाना अंतर्गत गौर चौकी स्थित जमतरा पर सोमवार दोपहर दो बजे अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई करने दबिश दी थी। टीम को देखते ही घाट पर भगदड़ मच गई थी। 4-5 लड़के मौके से भागने में सफल रहे, लेकिन खिरैनी घाट बरगी निवासी आकाश बर्मन (24) को टीम ने घेर लिया था। दोपहर करीब ढाई बजे खुद को चारों ओर से घिरा देख आकाश घबरा गया और जान बचाने के लिए उसने नर्मदा नदी में छलांग लगा दी और डूब गया था।

अवैध रेत उत्खनन पर 136 प्रकरण दर्ज

राजस्व, खनिज एवं पुलिस की छापामार कार्यवाही

नवभारत, जबलपुर। जिले में रेत खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने राजस्व, खनिज एवं पुलिस बल द्वारा निरंतर छापामार कार्यवाही की जा रही है। विगत फरवरी-मार्च माह के दौरान नर्मदा नदी में विभिन्न ग्रामों में कार्यवाही की जाकर ग्राम भड़पुरा में 4 हजार घनमीटर, ग्राम सगड़ा झपनी में 150 घनमीटर, कोनीकला घाट 200 घनमीटर, शीतलपुर में 500 घनमीटर तथा ग्राम ललपुर में लगभग 60 घनमीटर रेत सुदूर क्षेत्रो में लावारिस रूप से रखी हुई पाये जाने पर रेत को विनिष्ट किये जाने की कार्यवाही की गई। जिला खनिज अधिकारी एके राय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवैध उत्खनन्, परिवहन तथा भण्डारण के कुल 136 प्रकरण बनाये गये हैं जिनमें अर्थदण्ड 1.48 करोड़ रूपये वसूल किया गया है। इन प्रकरणों में रेत खनिज के अनाधिकृत उत्खनन, परिवहन में कार्यवाही करते हुए 42 वाहनों के विरूद्ध प्रकरण तैयार किये गये हैं।

दो नाव नष्ट, दो ट्रेक्टर-ट्रॉली भी जब्त

इसी प्रकार हिरन नदी में ग्राम खिरहनीकला एवं ग्राम मुर्ता तहसील सिहोरा में रेत निकालने के लिये उपयोग की जा रही दो नावों को नष्ट किया गया तथा तहसील सिहोरा के ग्राम भण्डरा घाट से रेत के अवैध उत्खनन में संलिप्त दो ट्रेक्टर-ट्रॉली को जप्त किया जाकर अनाधिकृत रेत उत्खननकर्ता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गई है।

कई घाटों से लगभग 84 घनमीटर रेत जब्त

जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि 20 अप्रैल को अभियान चलाकर नर्मदा एवं हिरन के विभिन्न घाटों का राजस्व एवं खनिज अमले द्वारा पाटन एवं कटंगी क्षेत्र में हिरन नदी के ग्राम गनियारी, पौडी, ककरहटा, कैमोरी एवं कांकरखेडा स्थित घाट का तथा शहपुरा तहसील के कुड़ाकला, बेलखेडी, पॉवला क्षेत्र स्थित नर्मदा नदी के घाटों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जहां रेत का अवैध उत्खनन होना नहीं पाया गया। उन-?होंने बताया कि जबलपुर तहसील में नर्मदा नदी के गौर, नांदिया, सगड़ा झपनी, खिरहनी स्थित घाटों के निरीक्षण के दौरान ग्राम खिरहनी में लगभग 84 घनमीटर रेत एकत्र पाई गई, जिसे जप्त किया गया।

पारा 40 डिग्री पार, तमतमा रहे सूर्यदेव

जबलपुर। मंगलवार को पारा 40 डिग्री पार रहा। सूर्यदेव तमतमाये रहे। दिनभर झुलसाने वाली हवाएं चल रही थी सूरज की तपिश के सामने लोगों के पसीने छूट गए। मौसम विभाग की माने तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ 23 अप्रैल से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। मंगलवार अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री पर पहुंच गया जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त आद्रता 32 और शाम को 16 प्रतिशत दर्ज किया गया। पश्चिमी हवाएं 5 से 6 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चल रही थीं। मौसम विभाग की माने तो एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, उत्तर छत्तीसगढ़ और निकटवर्ती क्षेत्र में माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊँचाई पर सक्रिय है। ट्रफ वायु असंतुलन रेखा अब उत्तर छत्तीसगढ़ के ऊपर सक्रिय ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण से लेकर कोमोरिन क्षेत्र तक, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु होते हुए माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊँचाई पर विस्तृत है। उत्तर-दक्षिण ट्रफ, पूर्वी बिहार से दक्षिण-पश्चिम मध्यप्रदेश तक, झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजरने वाली माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊँचाई पर विस्तृत है। मध्य भारत के ऊपर, माध्य समुद्र तल से 12.6 किमी की ऊँचाई पर, लगभग 176 किमी घंटा की गति से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही है।

फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण, एफआईआर दर्ज

संदेह के दायरे में तत्कालीन नायब तहसीलदार की भूमिका, जांच शुरू

जबलपुर। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र में जालसाजी और कूटरचित दस्तावेजों के सहारे जमीन की हेराफेरी करने के मामले में न्यायालय के कड़े रुख के बाद पुलिस ने रामपुर निवासी मुन्ना सिंह ठाकुर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित जालसाजी का मामला दर्ज कर लिया है। इ स मामले में तत्कालीन नायब तहसीलदार की भूमिका संदेह के दायरे में है जिसको लेकर भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार न्यायालय में लंबित प्रकरण नरेंद्र विरुद्ध मुन्ना व अन्य की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आया कि 25 दिसम्बर 2012 को निष्पादित दिखाया गया विक्रय पत्र (रजिस्ट्री क्रमांक 2132) पूरी तरह फर्जी और कूटरचित है। आवेदन पत्र के निराकरण पर न्यायालय ने पाया कि इस दस्तावेज के आधार पर गलत तरीके से लाभ प्राप्त किया गया। इस मामले में अहम बात यह है कि जब विक्रय पत्र वास्तव में पंजीकृत ही नहीं हुआ था, तो तत्कालीन नायब तहसीलदार गोरखपुर ने किस आधार पर जमीन का नामांतरण आरोपी के पक्ष में कर दिया। न्यायालय ने पुलिस को निर्देशित किया है कि वह इस बात की गहराई से जांच करे कि क्या राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से यह खेल रचा गया। न्यायालय से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर ग्वारीघाट पुलिस ने आरोपी मुन्ना सिंह ठाकुर राजपूत निवासी चौधरी मोहल्ला, वाटर टैंक के पीछे, रामपुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। यदि जांच के दौरान इस षड्यंत्र में किसी अन्य व्यक्ति या विभाग के कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है, तो उन्हें भी सह-आरोपी के रूप में मामले में जोड़ा जाएगा। पुलिस जल्द ही नामांतरण के आधारों की पड़ताल कर न्यायालय में अंतिम अभियोग पत्र पेश करेगी।

तकनीकी समस्याओं को दूर करने रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजें जाएंगे सुपरवाइजर्स

जबलपुर, नवभारत। लंबे समय से चली आ रही तकनीकी समस्याओं पर अब पश्चिम-मध्य रेलवे ने कड़ा रुख़ अपनाया है। सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार जबलपुर मुख्यालय के यांत्रिकी (मैकेनिकल) विभाग में तकनीकी लापरवाही और पुराने कार्यशैली को चलते विभाग के करीब 100 से ज्यादा मैकेनिकल सुपरवाइजर ऐसे पाए गए हैं, जिन्होंने लंबे समय से अनिवार्य रिफ्रेशर कोर्स नहीं किया है। अब मुख्यालय ने इन सभी को तुरंत ट्रेनिंग पर भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं इन सुपरवाइजर को तकनीक और सुरक्षा के नए मानकों को समझने के लिए हर 3 साल में 21 दिन का रिफ्रेशर कोर्स करना अनिवार्य होता है। जांच में सामने आया कि कई सुपरवाइजर ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 5 से 6 सालों से कोई कोर्स नहीं किया है और पुराने ढर्रे पर ही काम कर रहे थे वही रेलवे अफसरों का मानना है कि बदलती तकनीक के साथ कदम मिलाना बेहद जरूरी है। आदेश मिलते ही इन कर्मचारियों को ट्रेनिंग के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। केवल सुपरवाइजर ही नहीं, बल्कि अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को भी समय पर रिफ्रेशर कोर्स पूरा करने की हिदायत दी गई है। पुराने ढर्रे पर काम करने से न केवल समय ज्यादा लगता है, बल्कि तकनीकी खामियां रहने की संभावना भी बनी रहती है। रिफ्रेशर कोर्स पूरा होने के बाद ये कर्मचारी नई ऊर्जा और आधुनिक ज्ञान के साथ फील्ड पर लौटेंगे।

अत्याधुनिक तकनीकों से होंगे रूबरू

जानकारो से मिली जानकारी के अनुसार यह रिफ्रेशर कोर्स उदयपुर स्थित रेलवे ट्रेनिंग स्कूल व भुसावल में आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को-रेलवे की नई अत्याधुनिक तकनीकों से रूबरू कराना। सुरक्षा के आधुनिक मानकों की जानकारी देना। कार्यक्षमता और डिब्बों इंजनों के रखरखाव में सुधार लाना है मुख्यालय की इस सूची में जबलपुर, भोपाल व कोटा मंडल के सुपरवाइजर शामिल हैं।

पुलिस अभिरक्षा से फरार होने वाहन से कूदा, गेट से टकराकर हुआ घायल

सागर का बदमाश गिरफ्तार, घातक हथियार हुआ जब्त

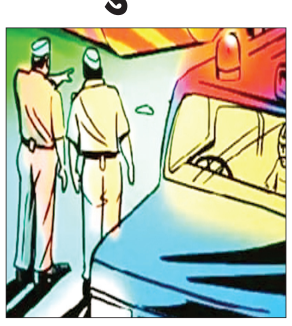

जबलपुर। लार्डगंज पुलिस ने पुरानी सूतिकागृह के सामने वाली गली में घेराबंदी करते हुए सागर निवासी बदमाश को गिरफ्तार किया। जिसके पास से घातक हथियार बरामद हुआ है। पकड़े गए युवक को पुलिस वाहन में बैठाया गया तो वे चकमा देकर भागने की फिराक में था, इस दौरान वे अचानक वाहन से कूद गया और कूदते समय वाहन के गेट की चादर से टकराकर घायल हो गया। हालांकि बाद में उसे थाने लाया गया और मुलाहिजा कराने के बाद आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक लार्डगंज थाने में पदस्थ उपनिरीक्षक दीप्ति लिल्हारे, आरक्षक कुंदन सिंह और नरेंद्र पाटिल के साथ राइट टाउन क्षेत्र में कानून व्यवस्था का जायजा ले रही थीं। इसी दौरान पुरानी सूतिकागृह के सामने वाली गली में एक युवक संदिग्ध अवस्था में घूमता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब युवक को रुकने का इशारा किया, तो वह सकपका गया और पुलिस को देखते ही गलियों में दौड़ लगा दी। उपनिरीक्षक लिल्हारे और उनकी टीम ने पीछा किया और घेराबंदी कर उसे अभिरक्षा में लिया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम लोकेश रैकवार (26) निवासी गोपालगंज, जिला सागर बताया। संदेह होने पर जब युवक की तलाशी ली गई, तो उसकी पैंट की कमर में पीछे धारदार चाईना चाकू खुसा हुआ मिला। हथियार रखने के संबंध में वह कोई भी वैध दस्तावेज या लाइसेंस पेश नहीं कर सका। पुलिस ने चाकू को जब्त कर लिया, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई।

हिरासत से भागने की कोशिश में लगी चोट-कार्रवाई के बाद जब आरोपी लोकेश को पुलिस वाहन (थाना मोबाइल) में बैठाया जा रहा था, तभी उसने भागने की नीयत से वाहन से छलांग लगा दी। कूदते समय वाहन के गेट की चादर से टकराने के कारण उसके बाएं पैर के घुटने पर चोट आई है। पुलिस ने सुरक्षा घेरा मजबूत कर उसे थाने लाया, जहाँ उसका मुलाहिजा कराया गया।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज लिया है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57